

मन्जू बनाम काडी वगैरा

2

हमने सायलान के वकील को एकपक्षीय सुना व प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी की खातेदारी पदम पुत्र हरजी के नाम दर्ज है। सायलान द्वारा प्रस्तुत शजरा के अनुसार सायलान मृतक पदम की वारिस है। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला सायलान के पक्ष में प्रतीत होता है।

अतः अप्रार्थीगण को अन्त. अस्थई निषेधाज्ञा से दिनांक 20-01-2022 तक पाबंद किया जाता है कि ग्राम टुडियाना तहसील महवा की आराजी गत खसरा नम्बर 534, 630, 631, 632, 633, 635, 636, 637, कुल किता 8 रकबा 1.39 हैक्टर 647, 649 कुल किता 2 रकबा 0.16 हैक्टर, 648, 650 670 कुल किता 3 रकबा 0.57, 645, 646, कुल किता 2 रकबा 0.15, 1134, 1135, 1137, 1138, 1139, 1140 कुल किता 6 रकबा 2.73 हैक्टर के मोके की स्थिति को यथावत बनाये रखे। नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 20-01-2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

दिनांक 20-01-2022

आज पत्रावली पेश हुई। वार्दीगण मन्जू देवी पत्नि पदम, पूजा पुत्री पदम, सोनम पुत्री पदम, रेखा पुत्री पदम मय वकील वार्दीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वार्दीगण अपने वाद पत्र को विदडो करना चाहते हैं। अतः खारिज फरमाया जावे।

चूंकि वादीगण अपने वाद पत्र को विदडो करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वार्दीगण का वाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

मि. मन्जू

मि. पूजा

मौमम

वैवा